छात्रावास में प्रवेश एवं आवासीय नियम

सत्र 2013, जुलाई 01 से प्रभावी

1. भारत में या भारतीय मूल का विदेश में रहने वाला छात्र/छात्रा/अध्येता इस छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है।
2. छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिये।
3. इस छात्रावास में प्रवेश वे ही छात्र/छात्रा/अध्येता ले सकेंगे जो जयपुर में विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज या प्रशिक्षण के किसी संस्थान में प्रवेश पा चुके हैं। ऐसे नवयुवक/छात्रा भी भी प्रवेश के लिए पात्रता रखेंगे जो किसी प्रतियोगी परीक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम की दीर्घ अवधि तक (छ: माह से अधिक) तैयारी करना चाहते हैं।
4. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र/छात्रा छात्रावास की आंतरिक व्यवस्था में भागीदारी के लिए सक्रिय सहयोग देंगे तथा छात्रावास की व्यवस्था, प्रबंधन व अनुशासन अनुकरणीय बनाये रखेंगे।

   (क) सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि छात्रावास के नियमों को पूर्णतया अध्ययन करने के पश्चात् फार्म व वचन पत्र में वांछित सूचनायें अपनी हस्तलिपि से अंकित करें तथा प्रवेश फार्म व वचन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षरों के अतिरिक्त अभिभावक के भी हस्ताक्षर कराने के पश्चात् ही प्रवेश फार्म को छात्रावास कार्यालय में प्रस्तुत करें अपूर्ण भरा हुआ फार्म मान्यता योग्य नहीं होगा।

   (ख) प्रवेश सूची जारी करने के पश्चात छात्रावास फीस जमा कराने हेतु दस दिन का समय दिया जायेगा। इसके पश्चात फीस जमा होने पर 50 रू. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। फीस जमा नहीं होने पर बीस दिन के पश्चात प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
5. छात्रावास की अधिकांश गतिविधियों में पारदर्शिता होगी तथा निर्णयों के विभिन्न स्तरों पर छात्र/छात्राओं की भागीदारी अपेक्षित है।
6. छात्रावास में अध्ययन का श्रेष्ठतम वातावरण बनाने, अध्ययन के लिए आवश्यक पुस्तकें व सामग्री उपलब्ध कराने, समय सारणी निर्धारित करने, पुस्तकालय व्यवस्था, संदर्भ व्यक्तियों के व्याख्यान करवाने इत्यादि के बारे में निर्णय अकादमिक समिति द्वारा लिये जायेंगे।
7. छात्रावास में भोजन, अल्पाहार व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था से संबंधित निर्णय सामान्य प्रशासन समिति द्वारा लिये जायेंगे। भोजन व खाद्य सामग्री कमरे के अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। भोजन शाला में ही भोजन किये जाने की बाध्यता होगी। अगर कोई छात्र/छात्रा बीमार है तो ऐसी अवस्था में मैस ठेकेदार उस छात्र/छात्रा के लिए भोजन की स्वयं व्यवस्था करेगा। किसी भी छात्र/छात्रा को पाकशाला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

   (अ) यदि कोई छात्र/छात्रा द्वारा पाकशाला में प्रवेश किया जायेगा तो उस पर शास्ति स्वरूप रू. 20 वसूल किया जायेगा।

   (ब) मैस ठेकेदार द्वारा लिये जाने वाले चार्ज (दरें) संस्थान की कार्यकारिणी निश्चित करेगी।

   (स) मैस में खाना खाने का समय दोपहर में 1.00 बजे व रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा। इस समय के पश्चात मैस में खाना बन्द कर दिया जायेगा। भोजन हेतु छात्र/छात्राओं को समय समाप्ति के आधा घण्टा पूर्व मैस में पहुंचना होगा।
8. छात्रावास में संचालन, सुधार सम्बन्धी सुझाव, निदेशक/प्रबन्ध समिति को प्रेषित किये जा सकते हैं।
9. छात्रावास से संबंधित किसी भी विषय में प्रबन्ध समिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा।
10. सभी छात्रों एवं अतिथियों को आवंटित कमरों में ही शयन करना होगा। आवश्यकता पडने पर शिक्षा समिति को छात्र/छात्रा का आंवटित कमरे से अन्यत्र स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

11. किसी भी छात्र/छात्रा के प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय शिक्षा समिति/न्यास का होगा।

12. छात्रावास में सफाई प्रसाधनों का समुचित प्रबंध, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करने इत्यादि के बारे में निर्णय सामान्य प्रशासन व सांस्कृतिक समिति द्वारा लिये जाएंगे। छात्रों को अपने स्तर पर बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास भवन में कार्यक्रम आयोजन का अधिकार नहीं होगा।

13. ट्रस्टी, निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को छात्रावास के किसी भी कमरे की तलाशी लेने का अधिकार होगा।

14. ट्रस्टी, निदेशक स्वयं अथवा उनकी उपस्थिति में जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी छात्रावास के किसी भी कमरे में किसी भी समय प्रवेश/निरीक्षण कर सकेंगे।

15. प्रत्येक कमरे की तथा कमरे के आसपास की सफाई की जिम्मेदारी कमरे में रहने वाले छात्र/छात्रा की होगी। पूरे परिसर को साफ रखने में सभी छात्र/छात्राओं का योगदान अपेक्षित एवं आवश्यक है।

16. प्रबंध समिति/निदेशक को किसी भी छात्र/छात्रा को अवांछनीय व्यवहार के कारण निष्कासित करने का अधिकार होगा।

17. छात्र/छात्रायें कमरों में छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली उपकरणों के अतिरिक्त अन्य बिजली उपकरणों का प्रयोग अनुमति प्राप्त करके ही कर सकेंगे, जिसके लिए अतिरक्ति विद्युत प्रभार देना होगा।

18. छात्र/छात्रा डेजर्ट या रूम कूलर/प्रेस का उपयोग निदेशक की पूर्व अनुमति से ही कर सकेगा। इसके लिए छात्र/छात्रा को क्रमशः 500 रू./100 रू. प्रतिमाह के हिसाब से अग्रिम शुल्क जमा कराना होगा।

19. छात्रावास में आवास कर रहे छात्र/छात्राओं के लिए पानी गर्म करना, चाय बनाने हेतु बिजली के उपकरण का उपयोग करने में पूर्णतया वर्जित है यदि किसी छात्र के पास उक्त विद्युत उपकरण पाये गये या उपयोग करता पाया गया तो तत्काल 500 रू. शास्ति छात्र/छात्रा को देय होगी, साथ ही उपकरण अभिग्रहित कर लिया जायेगा।

20. छात्रावास में पान, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब एवं अन्य किसी भी नशीली दवाईयों के सेवन एवं रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि कोई छात्र/छात्रा उपरोक्त प्रतिबन्धित सामग्री अपने कमरे में रखने व सेवन का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। दण्ड स्वरूप छात्र/छात्रा पर आर्थिक शास्ति 100 से 500 रूपये तक आरोपित की जायेगी / और छात्रावास से निष्कासन भी किया जा सकता है।

21. छात्रावास में अवांछित तत्वों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा तथा दोनों छात्रावासों में सुरक्षा की दृष्टि से मॉनिट रिंग कैमरे लगे हुये है।

22. छात्रावास का शिक्षण सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक का होगा। हर वर्ष वार्षिक शुल्क जुलाई में अथवा प्रवेश के समय देय होगा।

23. छात्रावास की टर्म फीस (कमरा किराया आदि) वर्ष में दो बार प्रवेश के समय या जुलाई व जनवरी में ली जायेगी जो लौटाने योग्य नही है।

24. प्रवेश पश्चात् जनवरी में देय होने वाली सत्र की फीस जनवरी माह की 20 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करानी होगी, अन्यथा नियत तिथि के पश्चात् सत्र की फीस जमा कराने पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क प्रतिदिन 50 रूपये जमा कराना होगा।

25. आवासीय छात्र/छात्रा को वापसी योग्य जमा राशि अन्तिम रूप से छात्रावास छोड़ने पर या संस्थान द्वारा निकाले जाने पर नियमानुसार देय होने पर ही लौटाई जायेगी। पुनः प्रवेश की इच्छा रखने वाले छात्र/छात्रा को उक्त राशि लौटाई नही जाएगी। यदि कोई छात्र वापसी योग्य राशि को प्राप्त कर लेता है तो आगामी सत्र उसकी पुनः प्रवेश की पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जायगी।

26. छात्रावास में पूर्व आवासीय छात्र/छात्रा यदि प्रवेश चाहते हैं तो प्रतिवर्ष छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु जून के अन्तिम सप्ताह में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

27. छात्र/छात्रा अपनी परीक्षा या पाठ्यक्रम (प्रोफेशनल कोर्स व डिग्री आदि) पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर छात्रावास खाली करेगा एवं आशय रिपार्ट निदेशक को देंगे।

28. पुनः प्रवेश का आधार गत परीक्षा के परिणाम, छात्र/छात्रा के व्यवहार, अनुशासन स्तर एवं छात्र/छात्रा की प्रतिभा, छात्रावास की गतिविधियों में सहभागिता आदि होगा।

29. जो छात्र/छात्रा सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. कोर्स कर रहे हैं उनकी परीक्षा का परिणाम प्रति छः माह पर पुनरीक्षण किया जावेगा तदनुसार छात्रावास में आगे प्रवेश के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

30. भारतीय व राजस्थान प्रशासनिक सेवा/प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साधारणतया एक वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। उसके बाद छात्र की योग्यता/अध्ययन का पुनरीक्षण के आधार पर आगामी वर्ष के लिए प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

31. प्रतिभाशाली गरीब छात्र व छात्राओं को शुल्क मुक्ति का अधिकार न्यास कार्यकारिणी को होगा।

32. जो छात्र 30 जून के पश्चात छात्रावास खाली नहीं करेगा उस पर 50 रू. प्रतिदिन की दर से चार्ज वसूल किया जायेगा।

33. जो छात्र प्रवेश लेने से पूर्व ही छात्रावास में आता है तो छात्र/छात्रा को अतिथि के रूप में रहना होगा। प्रवेश प्राप्त होने की तिथि तक छात्रावास में रहने का गेस्ट जार्च 50 रू. प्रतिदिन देना होगा। प्रवेश नहीं मिलने पर उस छात्र को छात्रावास खाली करना होगा।

34. जयपुर में छात्रावास भवन से 15 कि.मी. की परिधि में आवास करने वाले छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

35. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रत्येक दिन रात्रि में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित करना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर या उपस्थित रहकर भी रजिस्टर में उपस्थिति अंकित नहीं करने पर 10रू. प्रतिदिन के दर से शास्ति देनी होगी।

36. पुस्तकालय से जारी पुस्तक को लौटाने की समय अविधि 15 दिन होगी। निर्धारित दिनांक तक नहीं लौटाने पर निम्न शुल्क वसूल किया जायेगा –

    1. प्रथम सप्ताह – 5 रू.
    2. दूसरे सप्ताह – 10 रू.
    3. दूसरे सप्ताह के बाद – 25 प्रतिशत राशि पुस्तक मूल्य की

    एक पुस्तक बार–बार जारी नहीं की जायेगी।

37. छात्र/छात्रायें अपने कमरे को स्वयं का ताला लगायेंगे एवं सामान, नकदी, ज्वैलरी एवं अन्य मूल्यवान सामान आदि की जिम्मेदारी छात्र/छात्राओं की होगी।

38. यदि कोई छात्र/छात्रा अपने आवासीय कमरे को ताला लगाकर बिना सूचना दिये/लम्बी अवधि के लिए घर चला जायेगा तो एक न्यासी, निदेशक/वार्डन, दो छात्रों की उपस्थिति में ताला लगे कमरे का ताला तुड़वाकर कमरे में सामान की सूची बनाकर सामान को स्टोर में रखवा सकेंगे।

39. यह आवश्यक है कि सभी छात्र/छात्रा छात्रावास की शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि सभी गतिविधियों में अधिकाधिक भाग लें। इन कार्यक्रमों में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।

40. नियमावली में यदि कोई नियम प्रकाशित नही है लेकिन परिस्थिति व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षा समिति/प्रबन्ध समिति/निदेशक द्वारा लागू किये गये आदेश को नियमों के समकक्ष ही मान्यता प्राप्त होगी। समय –समय पर आवश्यकता अनुसार नियमों में परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन, निरस्तीकरण का अधिकार प्रबन्ध समिति/शिक्षा समिति को होगा। जिसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक नही होगा।